[16/7/2019] परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क्र. 1929]

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मत्रांलय

क्रमांक एफ 1-37/2011/15-2 भोपाल, दिनांक 9/04/2014

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
विंध्याचल भवन,भोपाल म0प्र0

विषयः- लोकायुक्त अपराध कमांक 26/2006 विरूद्ध श्री व्ही0पी0 मारण, संयुक्त आयुक्त।

---00---

उपरोक्त विषयांकित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ आदेशानुसार लेख है कि प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि "श्री मारण के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये चालान के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 02/02/2008 द्वारा अपराध का संज्ञान नहीं लिए जाने का निर्णय पारित किया गया है एवं उक्त निर्णय श्री मारण के पक्ष में अभी प्रभावशील है। यद्यपि लोयुक्त संगठन द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिवीजन याचिका प्रस्तुत की गई है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में अभी अपने निर्णय दिनांक 02/02/2008 पर कोई स्थगन पारित नहीं किया है, अतः प्रशासकीय विभाग को परामर्श दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका पर कोई निर्णय पारित होने पर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करें।"

3/ वर्तमान में प्रकरण में आपके द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुसार दुबारा चालान प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्वीकृति के खिलाफ भी श्री मारण द्वारा मान. उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन लगाया था, जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आवेदक के समस्त आपत्तियों सहित निराकरण के लिए निर्देश दिये गये। प्रकरण में मूल आपत्ति बिन्दु- पूर्व में न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान न लिये जाने एवं उसके विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया क्रिमिनल रिविजन (जिसे मान. न्यायालय द्वारा दिसंबर 2013 में खारिज किया जा चुका है) के तथ्य को बगैर प्रस्तुत किये गये अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है।

4/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श अनुसार मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार आपत्तियों की सुनवाई एवं उस पर निर्णय लिये जाने के उपरांत ही प्रकरण में विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहेगें।

(बी.डी.कुन्दनानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग
भोपाल, दिनांक 9/04/2014

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 1-37/2011/15-2

प्रतिलिपिः-

पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल की ओरं सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मत्रांलय

क्रमांक एफ 1–36/2011/15–2 भोपाल, दिनांक 9/04/2014

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
विंध्याचल भवन,भोपाल म0प्र0

विषयः– लोकायुक्त अपराध कमांक 28/2006 विरूद्ध श्री व्ही0पी0 मारण,तत्कालीन उप पंजीयक इंदौर।

––00––

उपरोक्त विषयांकित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ आदेशानुसार लेख है कि प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि "श्री मारण के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये चालान के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 02/02/2008 द्वारा अपराध का संज्ञान नहीं लिए जाने का निर्णय पारित किया गया है एवं उक्त निर्णय श्री मारण के पक्ष में अभी प्रभावशील है। यद्यपि लोयुक्त संगठन द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिवीजन याचिका प्रस्तुत की गई है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में अभी अपने निर्णय दिनांक 02/02/2008 पर कोई स्थगन पारित नहीं किया है, अतः प्रशासकीय विभाग को परामर्श दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका पर कोई निर्णय पारित होने पर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करें।"

3/ वर्तमान में प्रकरण में आपके द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुसार दुबारा चालान प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्वीकृति के खिलाफ भी श्री मारण द्वारा मान. उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन लगाया था, जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आवेदक के समस्त आपत्तियों सहित निराकरण के लिए निर्देश दिये गये। प्रकरण में मूल आपत्ति बिन्दु– पूर्व में न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान न लिये जाने एवं उसके विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया क्रिमिनल रिविजन (जिसे मान. न्यायालय द्वारा दिसंबर 2013 में खारिज किया जा चुका है) के तथ्य को बगैर प्रस्तुत किये गये अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है।

4/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श अनुसार मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार आपत्तियों की सुनवाई एवं उस पर निर्णय लिये जाने के उपरांत ही प्रकरण में विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहेगें।

9-4-2014

(बी.डी.कुन्दनानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 1–36/2011/15–2 भोपाल, दिनांक 9/04/2014

प्रतिलिपिः–

पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 5.5.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

9-4-2014

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन,
सहकारिता विभाग